रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239369
CG-DL-E-06102022-239369

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4460] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 3, 2022/ आश्विन 11, 1944
No. 4460] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 2022/ASVINA 11, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4668(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) और उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (ii) में का.आ. सं. 1191(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2017, के द्वारा प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में-

(i) पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"मानीटरी समिति.-

राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	मानीटरी समिति की संरचना	पद
(1)	(2)	(3)
(i)	जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़	अध्यक्ष;
(ii)	लोक निर्माण विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य;
(iii)	नगर नियोजन विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य;
(iv)	उद्योग विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य;
(v)	क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(vi)	तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	एक वर्ष की अवधि के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	राज्य जैवविविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य;
(ix)	मानद वन्यजीव वार्डन	सदस्य;
(x)	उप वन संरक्षक, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य	सदस्य-सचिव"

(ii) पैरा 6 के, उप-पैरा (1) में, "तीन वर्षों" शब्द के पश्चात्, "या नई समिति का पुनर्गठन होने तक" शब्दों को अन्तःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 25/52/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1191(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2017 के द्वारा प्रकाशित की गई थी;

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2022

S.O. 4668(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv)of sub-section(2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with Sub-rule(4) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. number 1191(E), dated the 17th April, 2017 namely:-

In the said notification-

(I) For paragraph 5, the following shall be substituted, namely :-

"Monitoring Committee -.

The State Government shall constitute a Monitoring Committee for effective monitoring of Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

TABLE

Sl.No.	Composition of the Monitoring Committee	Designation
(1)	(2)	(3)
(i)	District Collector, Pratapgarh	Chairperson;
(ii)	District level officer of Public Works Department	Member;
(iii)	District level officer of Town Planning Department	Member;
(iv)	District level officer of Industries Department	Member;
(v)	Regional officer, Rajasthan State Pollution Control Board	Member;
(vi)	An expert in the area of ecology and environment for a period of three years	Member;
(vii)	A representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment for a period of one year	Member;
(viii)	Member of State Biodiversity Board	Member;
(ix)	Honorary Wildlife Warden	Member;
(x)	Deputy Conservator of Forests, Sitamata Wildlife Sanctuary	Member-Secretary"

(II) in paragraph 6, in sub-paragraph (1), after the words " three years" the words " or till the re-constitution of the new Committee." shall be inserted

[F. No. 25/52/2015-ESZ-RE]

Dr.S. KERKETTA, Scientist "G"

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 1191(E), dated the 17th April, 2017

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.06 19:52:48 +05'30'